

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून के रायपुर ब्लाक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कालीगाड़) से नालीकंला मोटर मार्ग(कुल लम्बाई-11.425 किमी०) के नव निर्माण हेतु वांछित 9.194 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि- 8.627 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि-0.567 है० कुल 9.194 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि की स्थलीय पारिस्थितिकी के अनुसार घनत्व 0.5 आंगणित किया गया है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 9,39,000,000=00 (रू० नौ लाख उनतालीस हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 86,33,166=00(रू० छियासी लाख तैतीस हजार एक सौ छियासठ मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


प्रभाकर बनाविकारी
भरूरी वन प्रभाग
भरूरी